RNI No. MAHBIL /2009/31730
Reg. No. MCS/170/2016-18

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष २, अंक १४] मंगळवार, मे ३, २०१६/वैशाख १३, शके १९३८ [पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक १७

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२,
दिनांकित १८ अप्रैल २०१६।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. VI OF 2016.

AN ORDINANCE

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT, 1960.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ६ सन् २०१६।

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अध्यादेश ।

सन् २०१६ का महा. अध्या. २ ।

क्योंकि, महाराष्ट्र के राज्यपाल ने, २१ जनवरी २०१६ को महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन) अध्यादेश, २०१६ प्रख्यापित किया था ;

और क्योंकि, ९ मार्च २०१६ को राज्य विधानमंडल के पुनः समवेत होने पर, उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में संपरिवर्तित करने के लिए, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन) विधेयक, २०१६ (सन् २०१६ का वि.स. विधेयक क्र. ३), १५ मार्च २०१६ को महाराष्ट्र विधान सभा द्वारा पारित किया गया था और महाराष्ट्र विधान परिषद को पारेषित किया गया था और उसे उस सदन की चयन समिति को निर्दिष्ट किया गया है ;

और क्योंकि, तत्पश्चात्, १३ अप्रैल २०१६ को महाराष्ट्र विधान परिषद का सत्रावसान हो जाने के कारण, उक्त विधेयक महाराष्ट्र विधान परिषद द्वारा पारित नहीं किया जा सका था ;

और क्योंकि, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ (२) (क) के द्वारा यथा उपबंधित उक्त अध्यादेश राज्य विधानमंडल के पुनः समवेत होने के दिनांक से छह सप्ताह के अवसान के पश्चात, अर्थात् १९ अप्रैल २०१६ के बाद प्रवृत्त होने से परिविरत हो जाएगा ;

और क्योंकि, उक्त अध्यादेश के उपबंधों का प्रवर्तन जारी रखना इष्टकर समझा गया है ;

और क्योंकि, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है ; और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, उक्त अध्यादेश के उपबंधों का प्रवर्तन जारी रखने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है ;

अब, इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण ।

१. (१) यह अध्यादेश महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन तथा जारी रहना) अध्यादेश, २०१६ कहलाए।

(२) यह २१ जनवरी, २०१६ से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ७३गक में संशोधन।

२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (जिसे इसमें आगे " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा ७३ गक की, उप-धारा (३) के पश्चात्, निम्न उप-धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :— सन् १९६१ का महा. २४ ।

"(३क) महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन और जारी रहना) अध्यादेश, २०१६ के प्रारम्भण के दिनांक से दस वर्ष की अवधि के भीतर किसी भी समय पर या ऐसे प्रारम्भण के पश्चात्, किसी भी समय पर भारतीय रिझर्व बैंक की अपेक्षा के अनुसार बीमाकृत सहकारी बैंक के मामले में, यदि उसकी समिति के अधिक्रमण के लिए आदेश, धारा ११०क के अधीन बनाया गया है, तब ऐसी समिति का कोई सदस्य, ऐसी बैंक की समिति पर पुनर्नियुक्त होने, पुनर्नामनिर्देशित होने, पुनर्निर्वाचित होने या पुनःसहयोजित होने के लिए या समिति के अधिक्रमण के आदेश के दिनांक से समिति के दो सत्रों की अवधि के लिए ऐसी बैंक या किसी अन्य बैंक के समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त होने, नामनिर्देशित होने, या निर्वाचित होने या सहयोजित होने के लिए पात्र नहीं होगा। "। सन् २०१६ का महा. अध्या. ।

सन् २०१६ का महा. अध्या. क्र. २ का प्रत्याहरण द्वारा निरसन तथा व्यावृत्ति।

३. (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन) अध्यादेश, २०१६ एतद्द्वारा, प्रत्याहृत किया जाता है । सन् २०१६ का महा. अध्या. क्र. २ ।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी ।

वक्तव्य

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन् १९६१ का महा. २४) राज्य में सहकारी मुहिम के क्रमबद्ध विकास का उपबंध करता है। उक्त अधिनियम की धारा ११०क, उसमें उल्लिखित परिस्थितियों में, भारतीय रिज़र्व बैंक की मंजूरी या अपेक्षा से समिति के समापन, पुनर्निर्माण, निलंबन या अधिक्रमण, आदि के लिये आदेश बनाने के लिये, उपबंध करती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक, राज्य सरकार को नागरी सहकारी बैंक के अधिक्रांत किये गये संपूर्ण निदेशक बोर्ड को कम-से-कम दो सत्रों के लिये संबंधित नागरी सहकारी बैंक के निदेशक के रूप में, पुनर्निर्वाचित होने, पुनःसहयोजित होने या पुनर्नामनिर्देशित होने से, अनर्हता का उपबंध करने, जिससे जनता, समिति के अधिक्रमण में परिणामित क्रियाकलापों की पुनरावृत्ति के विरुद्ध संरक्षित हो सकने के लिये, उक्त अधिनियम संशोधित करने के लिये कदम उठाने के लिये, लगी हुई है। उक्त अधिनियम की धारा ७३-ग क, उसमें विनिर्दिष्ट आधार पर समिति तथा उसके सदस्यों की निरर्हता के लिये उपबंध करती है। जमाकर्ताओं, बैंकों तथा राज्य सरकार का ब्याज सुरक्षित करने तथा सहकारी बैंकों में अनियमितताओं की जाँच करने और वसूली सुधारने की दृष्टि से, सरकार, इन प्रयोजनों के लिये, उक्त धारा ७३-गक को यथोचित संशोधित करना इष्टकर समझती हैं। यह उपबंध करने का प्रस्तावित है कि, बीमाकृत सहकारी बैंक के मामले में, भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षा के अनुसार, उसकी समिति के अधिक्रमण के लिये आदेश, धारा ११०क के अधीन बनाये गये है तब, प्रस्तावित उपबंध के प्रारम्भण के दिनांक से दस वर्षों की अवधि के भीतर, किसी भी समय या ऐसे प्रारंभण के पश्चात्, किसी भी समय पर, ऐसी समिति का कोई सदस्य, ऐसी बैंक की समिति पर पुनर्नियुक्त होने, पुनर्नामनिर्देशित होने, पुनर्निवाचित होने या पुनःसहयोजित होने के लिये या ऐसी बैंक या कोई अन्य बैंक की समिति के सदस्य के रूप में, समिति के अधिक्रमण के आदेश के दिनांक से, समिति के दो सत्रों की अवधि के लिये, नियुक्त, नामनिर्देशित, निर्वाचित या सहयोजित होने के लिये पात्र होगा।

२. राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें, उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन् १९६१ का महा. २४) में अधिकतर संशोधन करने के लिये, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था, अतः महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन) अध्यादेश, २०१६ (सन् २०१६ का महा. अध्या. क्र. २) २१ जनवरी २०१६ को प्रख्यापित किया गया था।

३. तत्पश्चात्, ९ मार्च २०१६ को राज्य विधानमंडल के पुनः समवेत होने पर, उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में संपरिवर्तित करने के लिये महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन) विधेयक, (सन् २०१६ का विधान सभा का विधेयक क्र. ३), १५ मार्च २०१६ को महाराष्ट्र विधान सभा में पारित किया गया था और महाराष्ट्र विधान परिषद को परिषित किया गया था। तथापि, तत्पश्चात्, १३ अप्रैल २०१६ को महाराष्ट्र विधान परिषद का सत्रावसान हो जाने के कारण, उक्त विधेयक, महाराष्ट्र विधान परिषद द्वारा पारित नहीं किया जा सका।

राज्य विधानमंडल, ९ मार्च २०१६ को पुनः समवेत हुआ था, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ (२) (क) द्वारा यथा उपबंधित उक्त अध्यादेश, १९ अप्रैल २०१६ के पश्चात्, प्रवर्तित होने से परिविरत हो जाएगा और महाराष्ट्र सरकार, उक्त अध्यादेश के उपबंधों का प्रवर्तन जारी रखना इष्टकर समझती है।

४. राज्य विधामंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है जिनके कारण उन्हे, उपर्युक्त प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन) अध्यादेश, २०१६ (सन् २०१६ का महा. अध्या. क्र. २) के उपबंधों को जारी रखने के लिये, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है, अतः यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है।

मुंबई,
दिनांकित १८ अप्रैल २०१६ ।

चे. विद्यासागर राव,
महाराष्ट्र के राज्यपाल ।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,

एस. एस. संधु,
सरकार के प्रधान सचिव ।

(यथार्थ अनुवाद)
डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.